संख्या-17/15/36/90-का-4-2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2014**

विषय:-लोक सेवा आयोग, उततर प्रदेश के सुरक्षा गार्डों का वेतनमान एवं पौष्टिक आहार भत्ता उच्चीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयोग के पत्र संख्या-171/10/विविध/2011-2012, दिनांक 30.8.2012 एवं पत्र संख्या-76(क)/23/विविध/2013-14, दिनांक 5.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश कार्यालय में कार्यरत सुरक्षा गार्डों का, उत्तर प्रदेश सचिवालय के समकक्ष कार्मिकों की भांति वेतनमान एवं पौष्टिक आहार भत्ता निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त कार्मिकों को उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैंड-1 रूपये-5200-20200 ग्रेड पे रूपये-2000.00 दिनांक 1.1.2006 से काल्पनिक रूप से तथा उसका वास्तविक भुगतान दिनांक 8.4.2011 से अनुमन्य होगा।

(2) उक्त कार्मिकों को पौष्टिक आहार भत्ता दिनांक 26.4.2013 से रूपये-600.00 के स्थान पर रूपये-750.00 अनुमन्य होगा।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक, 2051-लोक सेवा आयोग-आयोजनेतर-102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग (भारित) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे.आ.-2-1327/दस-2014, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-15/36/90(1)-का-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
3. **कोषाधिकारी, इलाहाबाद।**
4. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5**
5. **वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2**
6. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्र यादव
विशेष कार्याधिकारी

http://Shasanadesh.up.nic.in